बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी)

पत्रांक 383063
ग्रा0वि09(BISPS)-01/2018

पटना, दिनांक 07/08/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार, पटना ।

विषय :- **बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत महिला पदाधिकारियों/कर्मियों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि BISPS अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मातृत्व अवकाश के संबंध में कतिपय जिलों द्वारा मार्गदर्शन की मांग की जा रही है । ज्ञातव्य है कि बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी अंतर्गत संविदा पर नियुक्त सभी महिला कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तो के अधीन कुल 180 दिन का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है । उल्लेखनीय है कि BISPS (विश्व बैंक सम्पोषित योजना) अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी BRDS के अंतर्गत ही कार्यरत है । तदनुसार इन सभी कर्मियों को भी उक्त अवकाश प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 266044 दिनांक 15.03.2016 द्वारा निर्गत दिशानिर्देश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन
7/8/2018
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव